न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।

पी0ए0 केस नं0– 26/2019–20

अनिता हॉसदा बनाम् रैयान मौजा–हिजरी

–: आदेश :–

13

16.09.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदिका अनिता हॉसदा, पति–सुनील मुर्मू, सा0–हिजरी, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–हिजरी थाना नं0–17 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के कार्यालय पत्रांक–299/रा0 दिनांक–08.03.2021 प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–299/रा0 दिनांक–08.03.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हिजरी थाना नं0–17 एक प्रधानी मौजा है, जिसमें पट्टाधारी ग्राम प्रधान पीथो मुर्मू के मृत्यु के पश्चात् प्रधानी पद रिक्त हो गया है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु ग्रामीणों की उपस्थित में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों द्वारा आवेदिका अनिता हॉसदा, पति–सुनील मुर्मू, सा0–हिजरी को मौजा–हिजरी थाना नं0–17 का ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु समर्थन दिया गया है।

आवेदिका अनिता हेम्ब्रम पूर्व प्रधान पीथो मुर्मू का पोत–पतोहु है। पंजी–II में पीथो मुर्मू का नाम दर्ज है तथा मौजा हिजरी नं0–17 में कुल 32 जमाबंदी है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा आवेदिका अनिता हेम्ब्रम को ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है तथा आवेदिका अनिता हेम्ब्रम उक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा उन्हें मौजा–हिजरी नं0–17 का प्रधान नियुक्त करने पर सहमति प्रदान की है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत आवेदिका अनिता हॉसदा, पति–सुनील मुर्मू, सा0–हिजरी को मौजा–हिजरी थाना नं0–17 का प्रधान नियुक्त करने हेतु नियमानुसार कर्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1575/सा0 दिनांक–03.09.2021 के द्वारा दिनांक–16.09.2021 को मौजा–हिजरी थाना नं0–17 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आयोजित ग्राम सभा में आवेदिका अनिता हॉसदा को ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्ति हेतु ग्राम सभा में उपस्थित रेयतों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका मौजा के 16 आना रैयतों को

सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की आयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार **The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman** के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनिता हॉसदा, पति–सुनील मुर्मू, सा0–हिजरी, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत को मौजा–हिजरी थाना नं0–17 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

16/09/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

16/09/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 16:41:20 +05:30
Location: 192.168.1.51